सत्यमेव जयते

Case No.78/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-4201/JH/275/2025-RO-RNC/RU-IV

श्री अबूबकर सिद्दीक पी
सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डोरंडा,
जिला रांची -, झारखंड 834002
Email Id: cf-wpranchi@gov.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषन करने का निश्चय किया है। अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक **08/10/2025** को **13:50 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलें का संदर्भ :-

संदर्भ 1

(i) अभ्यावेदक श्री मंटु सोनी उर्फ शनि कांत, पिता श्री राजेश कुमार -, ग्राम बड़कागांव -, जिला कोयला खनन परियोजना के लिए " से प्राप्त अभ्यावेदन (झारखंड) हज़ारीबाग़ - FOREST CLEARANCE लेने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत गलत फर्जी तरीके से ग्राम सभा की प्रक्रिया पूरी करने के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करनेके संबंध " में ।

(ii) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार पत्र सं वनभूमि विविध - 02/2025-2339 व0प0 दिनांक 07.07.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 30/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

For Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

Copy to:- NIC for uploading